

THE INDIAN ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION IN
REMOUNT VETERINARY CORPS

Applications are invited from qualified male/female veterinary graduates for Short Service Commission (SSC) in Remount Veterinary Corps of Indian Army as per the terms and conditions described below:-

1. ELIGIBILITY CONDITIONS

(a) **Age Limit.** 21-32 years as on the last date of submission of application i.e. **26 May 2025.**

Note : BVSc/BVSc & AH degree graduates, granted SSC in RVC will be considered for grant of permanent commission, only if they are below 30 years of age on the date of grant of SSC and if they qualify in the departmental permanent commission (PC) Test as per extant rules and policies. Likewise, MVSc and Doctorate degree holders will be considered for grant of permanent commission with age relaxation as per extant rules commensurate to the ante date seniority granted to them.

(b) **Minimum Educational Qualification.** A candidate must possess BVSc/BVSc & AH degree from any of the recognized Indian university or its equivalent foreign degree (i.e. the candidate must possess recognized veterinary qualification included in the first or second schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984).

(c) **Nationality**— “A candidate must either be :

- (i) a citizen of India, or
- (ii) a subject of Nepal, or
- (iii) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subject of Nepal. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary will attach such certificate alongwith the application”.

NOTE: CANDIDATE SHOULD HAVE PASSED THE QUALIFYING EXAMINATION WITH INTERNSHIP AT THE TIME OF SUBMISSION OF APPLICATION. CANDIDATES WHO ARE NOT IN POSSESSION OF MARK SHEETS OF ALL YEARS/PART/SEMESTERS (INCLUDING FINAL/PART/SEMESTER) OF QUALIFYING EXAMINATION AND INTERNSHIP COMPLETION CERTIFICATE NEED NOT APPLY)



2. **VACANCIES :** 20 (17 for male candidates and 03 for female candidates)

3. **METHOD OF SELECTION**

(a) **Initial screening.** Initial screening of applications will be done at Directorate General Remount Veterinary Services, Integrated HQ of MoD (Army) to check eligibility and correctness of documents before forwarding them to Dte Gen Recruiting of IHQ of MoD (Army). Common reasons for rejection of applications during screening are given at para 9 below.

(b) **SSB Interview.** Candidates whose applications are found in order shall be detailed to appear for the Services Selection Board on a specified date. Detailed instructions alongwith date and place of SSB will be intimated directly by Dte Gen Recruiting, IHQ of MoD(Army).

(c) **Merit list.** Merit list of the candidates recommended by the SSB and declared medically fit will be prepared. It is to be noted that mere qualifying at the SSB interview does not confirm final selection. Merit list will be prepared on the basis of marks obtained by the candidate at SSBs only and as such higher educational qualifications, previous achievements have no role to play.

4. **Medical Examination:** Candidates recommended by Service Selection Board will undergo medical examination by a medical board of male/female Doctors/Specialists/Gynecologists. However, there will be a Lady Medical Officer as member of the Special Medical Board (SMB) in respect of female candidates. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, candidates declared unfit by the SMB will be intimated by the president of the Medical Board. The procedure for request for Appeal Medical Board (AMB) will also be intimated to the candidates. Unfit candidates should report for AMB within a maximum period of 42 days. Candidates are advised in their own interest to appear for AMB well in time and should not wait for the last date given by the SMB. Candidates declared unfit by AMB will be intimated by the President, AMB about procedure of challenging the finding of AMB. Review Medical Board (RMB) is granted at the discretion of Director General Armed Forces Medical Services based on the merits of the case and that RMB is not a matter of right. Candidates will be considered medically fit only on receipt of the approved medical documents from Directorate General Medical Services. **Pregnancy, in case of female candidates if detected at any stage, after selection at SSB or during training will debar the candidates including issue less married/widow/divorcee from grant of commission.**

5. **TRAINING, TERMS AND CONDITIONS FOR SERVICE**

(a) **Grant of Commission.** Candidate will be commissioned in the rank of **Captain**.

(b) **Training.** Selected candidates will be detailed on post commission training at RVC Centre & College, Meerut Cantt.



(c) **Ante-date Seniority.** 12 months/24 months ante-date seniority will be granted to candidates holding post graduate/doctorate degree respectively in any discipline of veterinary science from a recognized university, recognized by VCI in India/abroad, prior to their commissioning in the Remount Veterinary Corps. **The candidates must hold MVSc/PhD degree (Valid PDC/Degree certificate) on the date of commissioning for availing ante date seniority.**

(d) **Suitability for Retention of Commission.** If an officer is found unsuitable within one year of the grant of commission, his/her commission may be terminated at any time before the contractual period of service for five years.

(e) **Promotion.** Promotion up to the rank of Lt Col while in SSC and thereafter, if granted PC, upto Colonel (TS) is time bound.

(f) **Tenure of Engagement.** All officers granted commission would serve the Indian Army for a period of five years from the date of conferment of commission subject to fulfillment of other conditions. This period of five years may further be extended by two spells of five years and four years subject to their performance.

(g) **Pay, Allowances and Other Benefits.** Officers, on commissioning in the rank of Captain are entitled to pay matrix of level 10(B) Rs. 61,300/-, Military Service Pay of Rs. 15,500/-, Non-Practice Allowance (NPA) @20% of basic pay, in addition to Kit Maintenance Allowance (KMA) and Dearness Allowance (DA) as admissible, at rates applicable from time to time. Additional benefits like concessional accommodation, free ration/ration money for self only, free medical facilities for self and family, LTC, 60 days annual leave and 20 days casual leave, canteen facilities and group insurance cover are also admissible.

6. **HOW TO APPLY**

(a) Application on plain paper (21 cm x 36 cm) duly typed as per the format given in the advertisement.

(b) The envelope containing application should be "**Superscribed in Red Ink**" indicating clearly "**Application for Short Service Commission in RVC**".

(c) Application should be posted by ordinary, registered or speed post to reach at the following address:-

**Directorate General Remount Veterinary Services (RV-1)
QMG's Branch, Integrated Headquarters of MoD (Army)
West Block 3, Ground Floor, Wing No-4
RK Puram, New Delhi – 110 066**



7. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION

The applications must be receipted in the office of DGRVS (RV-1) by **26 May 2025 (5 PM)**. Applications received thereafter will not be considered.

8. IMPORTANT INSTRUCTIONS

(a) Application must be accompanied with self-attested copies of:-

- (i) Original/provisional BVSc/BVSc & AH degree along with final marksheets.
- (ii) MVSc and PhD degree certificate (as applicable) along with mark sheet.
- (iii) Internship completion certificate.
- (iv) Matriculation certificate (as proof for date of birth).
- (v) Self attested photograph pasted on application.
- (vi) Two self-addressed stamped envelopes.

(b) Duplicate applications are not accepted.

(c) Candidate can avail maximum of six chances for SSB interview.

NOTE : (a) Candidates who are not in possession of original/provisional Degree BVSc/BVSc&AH/MVSc and PhD must attach a certificate from the Principal/Dean of the college stating that the candidate has completed his/her graduation/post-graduation/doctorate and is eligible for the award of said degree. (b) Application and requisite enclosures must be properly tagged. IHQ of MoD (Army) will not be responsible for loss of any enclosures. (c) Application may be sent through ordinary, Registered or Speed Post. (d) IHQ of MoD (Army) reserves the right to reject any application without assigning any reason. (e) Candidates already in service should apply through proper channel and obtain NOC from the employer. (f) The terms and conditions given in this advertisement are subject to change and should, therefore be treated as guidelines only. (g) Candidates (unmarried/widow/divorcee) will neither be allowed to marry/re-marry during the period of training nor will be allowed to live with parents/Guardians. Candidates must not marry until they complete the full training at RVC Centre & College, Meerut Cantt.



9. **COMMON REASONS FOR REJECTION OF APPLICATIONS:**

- (a) Incomplete applications in any respect and/or without copies of requisite certificate(s) and documents whatsoever submitted at a later stage will not be entertained.
- (b) Variation in names and spellings as recorded in application, matriculation or equivalent certificate not supported by affidavit.
- (c) Self attested copies of certificates not found enclosed.
- (d) Self attested copy of matric or equivalent certificate not found enclosed with application for verification of age. **No other certificate is valid for authentication of age.**
- (e) Application not received on or before due date.
- (f) Photograph not pasted on application form or not duly self attested by the candidate after pasting on form.
- (g) Declaration (on page 3) of the application form not signed by the individual.
- (h) None of the options given at para 4 (a to c) of the declaration ticked by the candidate.

10. **IMPORTANT NOTES :**

(a) **ALL COLUMNS IN THE APPLICATION SHOULD BE CAREFULLY FILLED IN CAPITAL LETTERS. COLUMNS WHICH ARE NOT APPLICABLE TO BE ENDORSED WITH 'NA'/NOT APPLICABLE/DASHES.**

(b) Final allocation of vacancies may change at discretion of IHQ of MoD (Army) as per requirement.

(c) Registration with Veterinary Council of India/State Veterinary Council is mandatory for selected candidates prior to commencement of trg.

(d) Queries, if any, may be submitted to Dte Gen RVS, IHQ of MoD (Army), West Block-3, RK Puram, New Delhi-110066 OR through E-mail ID: persvet-1779@nic.in.



भारतीय सेना
रिमाउंट वेटनरी (पशु चिकित्सा) कोर में
अल्प सेवा कमीशन

भारतीय सेना की रिमाउंट पशुचिकित्सा कोर में अल्प सेवा कमीशन (एस एस सी) के लिए विवाहित/अविवाहित पुरुष/महिला पशुचिकित्सा स्नातकों से निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

1. अर्हता शर्तें:

(क) आवेदन जमा किए जाने की अंतिम तारीख (26 मई 2025) को 21-32 वर्ष.

नोट: आरवीसी में एसएससी प्रदान किए गए वीवीएससी/ बीवीएससी एंड ए एच डिग्री प्राप्त स्नातकों को स्थायी कमीशन के लिए तभी विचार किया जाएगा यदि एस एस सी प्रदान किए जाने की तारीख को उनकी उम्र 30 वर्ष से कम हो और वे मौजूदा नियमों और नीतियों के अनुसार स्थायी कमीशन (पी सी) हेतु विभागीय परीक्षा में सफल होते हैं। उसी तरह, एमवीएससी और डॉक्टरेट डिग्री को मौजूदा नियमानुसार उन्हें प्राप्त पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के अनुरूप उम्र सीमा में छूट सहित स्थायी कमीशन दिए जाने के लिए विचार किया जाएगा।

(ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: - अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान/पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन विषय में डिग्री अथवा इसके समकक्ष कोई विदेशी डिग्री होनी चाहिए (अर्थात् अभ्यर्थी ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची में शामिल मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा योग्यता हासिल की हो)।

(ग) राष्ट्रीयता - अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से :

- (i) भारत का नागरिक अथवा
- (ii) भूटान की प्रजा अथवा
- (iii) भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने भारत में स्थायी रूप से बसने की नियत से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगांडा एवं संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तंजा निका एवं जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे एवं इथियोपिया और वियतनाम से आए हों।

बशर्ते उपर्युक्त खंड (ii) और (iii) के तहत आने वाले वे अभ्यर्थी हों जिनके लिए भारत सरकार द्वारा योग्यता पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

हालांकि, नेपाल की गोरखा प्रजा के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके लिए योग्यता प्रमाण पत्र जरूरी है, अपने आवेदन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

नोट: अभ्यर्थी को आवेदन जमा करते समय इंटरनशिप सहित अर्हता परीक्षा पास होना चाहिए। उन अभ्यर्थियों को आवेदन करना जरूरी नहीं है जिनके पास अर्हता परीक्षा और इंटरनशिप पूरा करने के प्रमाणपत्र के सभी वर्षों/भागों/सेमेस्टर्स (अंतिम/अंशकालिक/ सेमेस्टर सहित) को अंक पत्रक नहीं हैं।



2. रक्तियां :- 20 (पुरुष 17 और महिलाएं 03)

3. चयन की विधि

(क) प्रारंभिक स्क्रीनिंग - आवेदन पत्रों को भर्ती महानिदेशालय, एकी0 र0 म0 (सेना) को भेजने से पहले पात्रता एवं दस्तावेजों के सही होने के संबंध में रिमाउंट वेटनरी सेवा महानिदेशालय, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) में उनकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के दौरान आवेदनों की नामजुरी के कारणों का विवरण नीचे पैरा 9 में दिया गया है।

(ख) एसएसबी साक्षात्कार - जिन आवेदकों के आवेदन छंटनी के बाद सही पाए गए हैं, उन्हें निर्दिष्ट तारीख को सेवा चयन बोर्ड से समक्ष उपस्थित होना होगा। एसएसबी की तारीख और स्थान संबंधी विस्तृत ब्यौरे अभ्यर्थियों को सीधे भर्ती महानिदेशालय, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) द्वारा भेज दिए जाएंगे।

(ग) मेरिट लिस्ट - एसएसबी द्वारा अनुशंसित और चिकित्सीय तौर पर फिट पाए गए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस पर ध्यान दिया जाए कि एसएसबी साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाने भर से किसी के अंतिम रूप से चयन की पुष्टि नहीं की जा सकती है। मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी द्वारा सिर्फ एसएसबी में मिले प्राप्तांक के आधार पर ही तैयार की जाएगी और इस प्रकार उच्च शैक्षणिक योग्यताओं एवं पूर्व की उपलब्धियाँ मायने नहीं रखती।

4. मेडिकल जांच - सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की पुरुष/महिला डॉक्टरों/विशेषज्ञों/स्त्री रोग विशेषज्ञों के मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल जांच की जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में, स्पेशल मेडिकल बोर्ड (एसएसबी) में एक सदस्य महिला डॉक्टर अवश्य होगी। मेडिकल बोर्ड की कार्यवाहियां गोपनीय होती हैं जिन्हें किसी को उजागर नहीं किया जा सकता। हालांकि, एस एसबी द्वारा अयोग्य करार दिए जा चुके अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड (ए एम बी) से अनुरोध किए जाने की प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा। अनफिट अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक 42 दिनों के भीतर ए एम बी के समक्ष अपनी अपील दर्ज करानी होगी। इसलिए अभ्यर्थियों के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे समय रहते ए एम बी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। एएमबी द्वारा अनफिट करार दिए जा चुके अभ्यर्थियों को एएमबी के अध्यक्ष द्वारा एएमबी के निर्णय को चुनौती देने संबंधी प्रक्रिया से अवगत करा दिया जाएगा। मामले के गुणावगुण के आधार पर सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक के स्वविवेक के आधार पर समीक्षा मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) का गठन किया जा सकता है, हालांकि आरएमबी गठित किए जाने का अधिकार किसी अभ्यर्थी को नहीं है। अभ्यर्थियों को चिकित्सा सेवा महानिदेशालय से अनुमोदित मेडिकल दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही चिकित्सीय फिटनेस का पात्र माना जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में, गर्भावस्था की जानकारी किसी भी स्तर पर हो, चाहे एसएसबी के चयन के बाद या प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थी जिसमें निःसंतान/शादीशुदा/विधवा/तलाकशुदा शामिल है, को कमीशन प्रदान किए जाने से रोक दिया जाएगा।

5. प्रशिक्षण, सेवा की शर्तें

(क) कमीशन प्रदान किया जाना - अभ्यर्थी को कैप्टन के रैंक में कमीशन प्रदान किया जाएगा।

(ख) प्रशिक्षण - चयनित अभ्यर्थियों से कमीशन उपरांत प्रशिक्षण हेतु आरवीसी सेंटर एवं कॉलेज, मेरठ छावनी में भेजा जाएगा।



(ग) पूर्व – दिनांकित वरिष्ठता – रिमाउंट वेटनरी कोर में कमीशन प्रदान किए जाने से पहले भारत/विदेश में वीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट डिग्री धारक अभ्यर्थियों को क्रमशः 12/24 माह की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता प्रदान किए जाने की तारीख को अभ्यर्थियों के पास एमवीएस सी /पी एच डी डिग्री (मान्यता प्राप्त पीडीसी/डिग्री प्रमाण पत्र) अवश्य होनी चाहिए।

(घ) कमीशन कायम रखने की योग्यता :

यदि किसी अफसर को कमीशन प्रदान किए जाने से एक साल के भीतर अयोग्य पाया जाता है तो उसके कमीशन को पांच साल की संविदागत सेवा से पहले कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

(च) पदोन्नति – एसएससी के तहत लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक और उसके बाद यदि स्थायी कमीशन किया गया है तो कर्नल रैंक तक की समयबद्ध पदोन्नति मिलेगी।

(छ) सेवा कार्यकाल- कमीशन प्राप्त सभी अफसर, कमीशन प्रदान किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। बशर्ते वे अन्य शर्तें पूरी करते हों। उनकी पांच साल की सेवा को उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर अगले पांच और फिर चार साल की सेवावधि का विस्तार दो चरणों में दिया जा सकता है।

(ज) वेतन, भत्ते और अन्य लाभ – कैप्टन के रैंक में कमीशन प्राप्त होने पर अफसर 10(b) लेवल के पे मैट्रिक्स में 61,300 मूल वेतन, 15,500/- का मिलिट्री सर्विस वेतन, गैर प्रैक्टिस भत्ता (एन पी ए) जो मूल वेतन का 20% होगा और समय समय पर ग्राह्य, किट अनुरक्षण भत्ता (केएमए) और महंगाई भत्ता का हकदार होगा। अन्य लाभों में, रियायती दर पर आवास, सिर्फ अपने लिए मुफ्त राशन/राशन भत्ता , अपने और परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, एलटीसी, 60 दिनों का वार्षिक अवकाश, 20 दिनों का आकस्मिक अवकाश, कैटिन सुविधाएं और समूह बीमा कवर शामिल है।

6. आवेदन कैसे करें

(क) विज्ञापन में दिए गए प्रारूप के अनुसार, सादे कागज (21x36 वर्ग सेमी) पर विधिवत टाइप किया गया आवेदन पत्र।

(ख) आवेदन वाले लिफाफे पर “लाल स्याही से ऊपर” “आर वी सी में अल्प सेवा कमीशन हेतु आवेदन” लिखा होना चाहिए।

(ग) आवेदन को निम्नलिखित पते पर पहुँचाने के लिए साधारण, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा जाना चाहिए:-

रिमाउंट वेटनरी सेवा महानिदेशालय (आर वी -1)
क्यू एम जी शाखा, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना)
वेस्ट ब्लॉक 3, भूतल, विंग -4
आर के पुरम, नई दिल्ली -110066



7. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख

आवेदन डीजीआर वी एस (आर वी-1) के कार्यालय में 26 मई 2025 (शाम 5 बजे तक) अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। उसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. महत्वपूर्ण अनुदेश

(क) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां अवश्य संलग्न की जानी चाहिए:-

- (i) अंतिम सत्र के मार्कशीट सहित बीवीएससी/बीवी एस सी एंड ए एच की मूल/अंतिम डिग्री।
- (ii) मार्कशीट सहित एमवीएससी और पीएचडी डिग्री प्रमाणपत्र (यथा लागू)
- (iii) इंटरमीडिएट पूरा करने का प्रमाणपत्र
- (iv) मैट्रिक का प्रमाणपत्र (बतौर जन्मतिथि प्रमाण)
- (vi) आवेदन पर चिपकाया हुआ स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।

(ख) डुप्लीकेट आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(ग) अभ्यर्थी एस एस बी साक्षात्कार के लिए अधिक से अधिक छह बार प्रयास कर सकते हैं।

नोट: -

(क) वे अभ्यर्थी जिनके पास बीवीएससी/ बीवीएससी एंड ए एच/ एमवीएस सी और पीएचडी की मूल अंतिम डिग्री नहीं हो को अपने कॉलेज के प्राचार्य, /डीन से इस आशय का प्रमाणपत्र लाना होगा कि अभ्यर्थी ने अपना स्नातक /स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट पूरा कर लिया है और यह उक्त डिग्री को प्राप्त करने का पात्र है।

(ख) आवेदन पत्र और अपेक्षित संलग्नकों को भली भांति लगाया जाना चाहिए। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, (सेना) किसी भी संलग्नक के खो जाने पर उत्तरदायी नहीं होगा।

(ग) आवेदन साधारण, रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा जा सकता है।

(घ) एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, (सेना) को बगैर कारण बताए किसी भी आवेदन को नामंजूर करने का अधिकार है।

(च) पहले से सेवारत अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन कर अपने नियुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। इस विज्ञापन में दी गई शर्तें बदल सकती हैं इसलिए इन्हें सिर्फ दिशानिर्देश के तौर पर लिया जाना चाहिए।

(छ) इस विज्ञापन में दी गई शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है, और इसलिए इन्हें केवल दिशानिर्देश के रूप में ही माना जाए।

(ज) (अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा) अभ्यर्थियों को न तो प्रशिक्षण अवधि के दौरान विवाह/पुनर्विवाह करने, न ही अपने माता पिता /अभिभावक के साथ रहने की इजाजत होगी। अभ्यर्थी तब तक विवाह नहीं करेगा जब तक की आर वी सी सेंटर एवं कॉलेज, मेरठ छावनी में वह अपना प्रशिक्षण पूरा न कर ले।



9. आवेदनों के नामजूर किए जाने के सर्वसामान्य कारण:

- (क) अपेक्षित प्रमाण पत्रों के बगैर अधूरे आवेदनों और बाद में जमा किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ख) आवेदन मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज नामों और वर्तनी में फेरबदल जिसके लिए कोई भी शपथपत्र नहीं दिया गया है।
- (ग) प्रमाणपत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न नहीं की गई हैं।
- (घ) आयु के सत्यापन हेतु आवेदन के साथ मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न नहीं की गई हैं। आयु के सत्यापन हेतु कोई अन्य प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।
- (च) निर्धारित तिथि या उससे पहले आवेदन का प्राप्त न होना
- (छ) आवेदन पत्र पर फोटोग्राफ न चिपकाया हुआ हो अथवा आवेदन पत्र पर फोटोग्राफ चिपकाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा उसे स्वअभिप्रमाणित न करना।
- (ज) आवेदन पत्र के पृष्ठ संख्या 3 पर दी गई घोषणा पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर न करना।
- (झ) घोषणा पत्र के पैरा 4 (क से ग) में दिए गए विकल्पों में से अभ्यर्थी द्वारा किसी भी विकल्प पर सही का निशान (✓) न लगाना।

Rojgarkikhoj.com

10. महत्वपूर्ण टिप्पणी/नोट:

- (क) आवेदन पत्र के सभी कॉलम साफ साफ बड़े अक्षरों में सावधानीपूर्वक भरे जाने चाहिए जो कॉलम लागू नहीं हैं उनमें 'लागू नहीं' लिखा जाए अथवा डैश (-) का चिह्न बनाया जाए।
- (ख) रिक्तियों के अंतिम आवंटन में आवश्यकतानुसार एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, (सेना) के विवेकानुसार बदलाव हो सकता है।
- (ग) प्रशिक्षण शुरू होने से पहले चयनित अभ्यर्थियों के लिए वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया / स्टेट वेटनरी काउंसिल में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
- (घ) यदि कोई प्रश्न हो तो उसे/ उन्हें ई मेल आई डी : persvet-1779@nic.in के जरिए अथवा आर वी एस महानिदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, (सेना), वेस्ट ब्लॉक -3, आर के पुरम , नई दिल्ली -110066 से पत्राचार कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

